1— रामकली पत्नी स्व0 श्री भैयालाल ब्रा0

2— कृष्णा देवी पुत्री स्व0 श्री भैयालाल ब्रा0 पत्नी श्री नन्द कुमार तिवारी

3— श्यामा देवी पुत्री स्व0 श्री भैयालाल ब्रा0 पत्नी श्री आनन्दलाल शर्मा

4— ललिता देवी पुत्री स्व0 श्री भैयालाल ब्रा0 पत्नी श्री रमेश कुमार शर्मा

निवासीगण ग्राम नौवा, तहसील सिरमौर, वर्तमान तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0) ———**अपीलांटगण**

बनाम

1— मोतीलाल पिता स्व0 श्री काशी प्रसाद ब्रा0, निवासी ग्राम नौवा, तहसील सिरमौर, वर्तमान तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

2— श्रीमती मानवती पत्नी श्री जगदीश प्रसाद पुत्री स्व0 श्री शास्त्री प्रसाद ब्रा0, निवासी ग्राम गौरी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

3— म0प्र0 राज्य ————**प्रत्यर्थीगण**

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एड द्वारा आज दिनांक 25-01-16 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

वावत् पुर्नस्थापन राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक A–1286IV/2008

मान्यवर,

<u>आवेदिकागण का आवेदन निम्न है :–</u>

1— उक्त अपील प्रकरण इस माननीय न्यायालय में मूल रूप से अपर कमिश्नर रीवा के आदेश दिनांक 23/09/08 के विरूद्ध दायर की गई थी, कई वर्षो से मामला लम्बित रहा ।

2— उक्त मामला मुख्यालय ग्वालियर में दिनांक 15/05/14 को नियत था, उक्त मामला लम्बित होने की जानकारी आवेदिकागण को नही थी । आवेदिकागण की तरफ से अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.........5039.-II/16......जिला.....रीवा...............................

(1)	(2)	(3)
29-6-16	आवेदक की ओर से श्री अरविन्द पाण्डेय एड. उप0/उनको प्रकरण के पुर्नस्थापन पर सुना गया। प्रकरण मे प्रस्तुत आदेश पत्रिका दिनांक 15.5.14 का अवलोकन किया गया। यह मामला आवेदक द्वारा दिनांक 15.5.14 को अदम पैरवि खारिज कर देने के कारण पुर्नस्थापित किए जाने का है जिसका आवेदन दिनांक 25.1.16 को इस न्यायालय मे पुर्नस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि दो वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि विलम्ब माफी के लिए म्याद अधिनियम की धारा–5 आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि, किन्तु उसमे ऐसे कोई ठोस कारण नहीं बताये गयें है, जिसके आधार पर विलम्ब का समाधान हो सके फलस्वरूप प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है। प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दाखिल अभिलेखागार हो। सदस्य	